227

मनोरंजन, चंडीगढ़ (अवनीश झिंगन, जे.)

एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे. और अवनीश झिंगन, जे. के समक्ष

पीआर। आय कर आयुक्त-। चंडीगढ़ -अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स एस. आर. बी. एस. एंटरटेनमेंट, चंडीगढ़-प्रतिवादी

2016 का आई. टी. ए. नंबर 280/2016

18 जनवरी, 2018

आयकर अधिनियम, 1961-आदेश 37 (1)-व्यावसायिक व्यय-सामुदायिक केंद्र के रखरखाव और संचालन के लिए फर्नीचर और खानपान के लिए अन्य उपकरण रखने के लिए पट्टे पर परिसर-चेक द्वारा से भुगतान की गई किराए की राशि जिसमें से टी. डी. एस. काटा गया था-व्यवसाय शुरू होने में कठिनाई का सामना करना पड़ा-सी. आई. टी. द्वारा अनुमत किराए के लिए खर्च-पट्टे को समाप्त करने का सुझाव देने के लिए विभाग के लिए खुला नहीं था-व्यावसायिक व्यय का स्पष्ट मामला।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि निर्धारिती को परिसर का उपयोग शुरू करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था, इसका मतलब यह नहीं है कि दावा किए गए खर्च निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं थे।यदि अपेक्षित फल एक व्यावसायिक अनुपात से प्राप्त नहीं होते हैं, तो यह व्यावसायिक सुविधा को चुनौती देने का आधार नहीं होगा।भले ही बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी हुई हो, यह संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने का परिणाम हो सकता है, जिसके लिए निर्धारिती नुकसान का दावा कर सकता है।विभाग के लिए यह सुझाव देना खुला नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियों में पट्टा समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।यह निर्धारिती द्वारा लिया जाने वाला एक व्यावसायिक निर्णय है।यह विभाग का मामला नहीं है कि खर्च नहीं किए गए हैं या वे पट्टे के समझौते के रूप में छिपी हुई समझ के तहत किए गए थे।

(पैरा 10)

उर्वशी धुग्गा, वरिष्ठ स्थायी वकील,अपीलकर्ता के लिए।

अधिवक्ता मनप्रीत सिंह कांडा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राधिका सूरी। प्रतिवादी की ओर से

अवनीश जिंगान, जे।

(1) यह आयकर के आदेश के खिलाफ एक अपील है। जो

अपीलीय न्यायाधिकरण सी. आई. टी. (अपील) के आदेश की पुष्टि करता है जिसके तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए पट्टे के किराए की अनुमति नहीं देने वाले निर्धारण प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

(2) यह मामला मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से संबंधित है।

(3) अपीलकर्ता के अनुसार, इस अपील में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैंः-

(i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानूनी रूप से, माननीय आई. टी. ए. टी. यह अभिनिर्धारित करते हुए Rs.72,00,000/- के जोड़ को हटाने में सही है कि यदि पट्टे के किराये के लिए भुगतान देय टी. डी. एस. को काटने के बाद चेक द्वारा किया गया है, तो किसी भी खर्च की वास्तविकता और व्यावसायिक समीचीनता स्थापित हो जाती है?

(ii) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानूनी रूप से, माननीय आई. टी. ए. टी. इस तथ्य को नजरअंदाज करके Rs.72,00,000/- को जोड़ने को हटाने में सही है कि जब उक्त परिसर का उपयोग व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, तो निर्धारिती खर्च की व्यावसायिक योग्यता साबित नहीं कर सका था?

(4) निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की आदेश 143 (3) (संक्षेप में, 'अधिनियम आदेश दिनांक 28.02.2013') के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया।निर्धारण अधिकारी ने पट्टे के किराए के भुगतान पर संदेह किया और 72,00,000-पट्टे के किराए के रूप में रुपये के भुगतान की अनुमति नहीं दी। इस आधार पर कि निर्धारिती ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिसर के उपयोग के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

(5) सी. आई. टी. (अपील) ने दिनांक 31.12.2014 के आदेश के माध्यम से निर्धारिती की अपील की अनुमति दी।सी. आई. टी. (अपील) ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

" 3.3 मैंने इस मुद्दे के तथ्यों पर विचार किया है।अपीलकर्ता फर्म ने सामुदायिक केंद्र को बनाए रखने और चलाने और व्यवसाय का विस्तार करने के लिए खानपान और भोज द्वारा से राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से मोहाली में परिसर को किराए पर लिया था (जिसके लिए Rs.72,00,000/- के पट्टे का दावा किया गया है)।अपीलकर्ता ने इन परिसरों को अपने फर्नीचर और अन्य भारी तंबू और खान-पान के उपकरणों को रखने के लिए किराए पर लिया था।फर्म के दो भागीदार इंग्लैंड गए थे और वे समय पर वापस नहीं लौट सके, जिसके कारण व्यवसाय पर्याप्त रूप से शुरू नहीं हुआ।अपीलकर्ता के अनुसार, उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लगभग आठ महीने बाद बिजली कनेक्शन मिला, जो कि देरी का मुख्य कारण था और

229 पीआर आय कर आयुक्त-I चंडीगढ़ बनाम एम/एस एस आर बी एसमनोरंजन, चंडीगढ़ (अवनीश झिंगन, जे.)

कुछ समय के लिए भागीदारों की देरी और वापस इंग्लैंड जाने था। निर्धारण अधिकारी ने इस कारण से राशि की अनुमति नहीं दी कि अपीलकर्ता ने अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और परिसर के व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया।पट्टे के किराये की राशि का भुगतान चेक द्वारा से किया जाता था, जिस पर स्रोत पर कर की विधिवत कटौती की जाती थी।बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो व्यवसाय शुरू करने में समर्थ नहीं होने का कारण भी हो सकता है, क्योंकि बिजली के बिना व्यवसाय करना संभव नहीं है।नुकसान को कम करने के लिए, अपीलकर्ता ने वर्ष के अंत में सुश्री मधु आहूजा को किराए पर परिसर का एक हिस्सा दिया था और यह इस मुद्दे पर अपीलकर्ता के मामले की वास्तविकता को भी साबित करता है।अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पट्टा किराये की राशि को अस्वीकार करने में निर्धारण अधिकारी सही नहीं था।यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 40ए (2) (ए) के तहत राशि की अनुमति नहीं दी है, लेकिन धारा 40ए (2) (बी) के तहत किसी भी व्यक्ति को राशि का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए इस संबंध में निर्धारण अधिकारी का अवलोकन सही नहीं है।किसी भी मामले में, चूंकि मैंने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता इस राशि की कटौती के लिए पात्र है, इसलिए निर्धारण अधिकारी का यह निष्कर्ष भौतिक नहीं है।किए गए जोड़ के खिलाफ की गई अपील का आधार तदनुसार अनुमत है।"

(6) न्यायाधिकरण ने सी. आई. टी. (अपील) द्वारा दिए गए तर्कों की पुष्टि की और दिनांक 04.03.2016 के विवादित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।आदेश तथ्यों की सराहना पर आधारित है।निष्कर्ष निश्चित रूप से संभव है।इसे विकृत या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है।इसलिए अपील कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठाती है।

(7) निर्धारिती सिल्वर सिटी ज़ीरकपुर में एक सामुदायिक केंद्र क्लब चलाने का व्यवसाय कर रहा था।अपने व्यवसाय का विस्तार आदेश और खानपान और भोज के व्यवसाय में उद्यम आदेश के लिए, सोफे, भारी तम्बू और खानपान उपकरण जैसे फर्नीचर रखने के लिए एक शेड पट्टे पर लिया गया था।नया व्यवसाय शुरू करने में कई अड़चनें आईं और इसमें लगभग आठ महीने तक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी शामिल थी।चूंकि व्यवसाय शुरू नहीं किया जा सका था, इसलिए पट्टे पर ली गई उक्त संपत्ति का एक हिस्सा सुश्री मधु आहूजा को किराए पर दिया गया था।इन सब में, फर्म के दो भागीदार इंग्लैंड चले गए जिन्हें व्यवसाय की देखभाल के लिए जल्द ही लौटना था, लेकिन उनके परिवार के कारण

समस्या और व्यावसायिक मजबूरियों के कारण, वे उचित समय के भीतर वापस नहीं आ सके। यह माना गया कि, पट्टे के किराए का भुगतान चेक द्वारा से किया गया था और यहां तक कि अधिनियम के तहत आवश्यक टीडीएस की भी विधिवत कटौती की गई थी।दोनों अपीलीय प्राधिकरणों ने इन सभी कारकों को ध्यान में रखा और कहा कि पट्टे की राशि के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।जो निष्कर्ष निकला है वह तार्किक है।

(8) प्रश्न संख्या 1 को गलत तरीके से तैयार किया गया है।यह प्रश्न यह सुझाव देने के लिए कहा गया है कि अधिकारियों का मानना है कि यदि पट्टे के किराए का भुगतान चेक द्वारा किया गया है और टी. डी. एस. काटा गया है, तो इसकी वास्तविकता और व्यावसायिक योग्यता स्थापित हो जाती है।वास्तव में पट्टे के किराए के लिए चेक द्वारा भुगतान और टी. डी. एस. की कटौती से कटौती का मामला स्थापित नहीं होगा।हालांकि, अपीलीय अधिकारियों ने केवल चेक द्वारा किए जा रहे भुगतान और टीडीएस की कटौती के आधार पर दावे की अनुमति नहीं दी है।पूरी तरह से तथ्यों पर विचार किया गया है और उसके बाद, एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि यह एक व्यावसायिक खर्च था जो वास्तव में पट्टे के किराए के भुगतान के लिए किया गया था।

(9) प्रश्न संख्या 2 जोड़ को हटाने को चुनौती देना क्योंकि निर्धारिती व्यावसायिक योग्यता को साबित करने में विफल रहा क्योंकि उक्त परिसर का उपयोग

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था, कानून का सवाल नहीं है, कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल भी नहीं है।

(10) केवल इसलिए कि निर्धारिती को परिसर का उपयोग शुरू करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था, इसका मतलब यह नहीं है कि दावा किए गए खर्च निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं थे।यदि किसी व्यावसायिक प्रस्ताव से अपेक्षित फल नहीं मिलता है, तो यह व्यावसायिक सुविधा को चुनौती देने का आधार नहीं होगा।भले ही बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी हुई हो, यह संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने का परिणाम हो सकता है, जिसके लिए निर्धारिती नुकसान का दावा कर सकता है।विभाग के लिए यह सुझाव देना खुला नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियों में पट्टा समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।यह निर्धारिती द्वारा लिया जाने वाला एक व्यावसायिक निर्णय है।यह विभाग का मामला नहीं है कि खर्च नहीं किए गए हैं या वे पट्टे के समझौते के रूप में छिपी हुई समझ के तहत किए गए थे।

(11) अपील तथ्य पर सवाल उठाती है।कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठता है।न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई वारंट नहीं है।

(12) इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

संजीव शर्मा, संपादक

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्दशेय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्दशेयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्दशेय के लिए उपयुक्त रहेगा।

Anita Dagar